समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला नजारत शाखा)
पत्रांक................./न0

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

श्री मनोज कुमार पवन
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक......................

विषय : **समाहरणालय, मधेपुरा, जिलाधिकारी आवास एवं जिला अतिथि गृह, मधेपुरा का होल्डिंग टैक्स किराया भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर परिषद्, मधेपुरा के द्वारा समाहरणालय, जिलाधिकारी आवास एवं जिला अतिथि गृह, मधेपुरा के वित्तीय वर्ष 2015-16 में होल्डिंग टैक्स मद की राशि का डिमान्ड इस कार्यालय को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि दिनांक 05-02-2016 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में छपी खबर ''नप के बकायेदारों के नाम जारी'' संबंधी खबर प्रकाशित की गयी है, जिसमें जिले के बकायेदारों की सूची में समाहरणालय एवं जिलाधिकारी का आवास अंकित है।

उल्लेखनीय है कि जिला नजारत कार्यालय, मधेपुरा द्वारा समाहरणालय, मधेपुरा के होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि 1,26,867/- (एक लाख छब्बीस हजार आठ सौ सरसठ) रू0 का भुगतान दिनांक 11-03-2015 को रसीद संख्या-8208 एवं जिलाधिकारी आवास के होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि 23,133/- रू0 का भुगतान दिनांक 11-03-2015 को रसीद संख्या-8207 द्वारा किया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा जमा किए गए होल्डिंग टैक्स की राशि का सामंजन नहीं किया गया है, जो आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालय कर्मियों की घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्त्तव्यहीनता का द्योतक है।

अतः निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि समाहरणालय, मधेपुरा एवं जिलाधिकारी आवास के बकाये होल्डिंग टैक्स की राशि जमा किए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा उसका सामंजन क्यों नहीं किया गया है तथा इसके लिए कौन दोषी हैं।

विश्वासभाजन
ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक ..30................/न0, मधेपुरा, दिनांक 06-02-2016

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

E/Khalid/ 2016/Letter -12-